राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2178/2015

रामपाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2015
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष यह प्रार्थना की है कि ए.एस.आई. के पद की पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा आदेश दिनांक 24.08.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी को उसके अभ्यर्थिता को निरस्त किया गया है, को अमान्य मानते हुए अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को योग्य अभ्यर्थी की सूची में ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा के लिए उसका नाम जोड़े जाने का निर्देश दिया जावे तथा अपीलार्थी को अस्थाई रूप से उक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.10.1989 को हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 09.01.1991 को कोतवाली, बारां में पदस्थापित किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अपीलार्थी को भिन्न–भिन्न जगह पर पदस्थापित किया गया, जहां पर उसने संतोषजनक सेवाएं दी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके द्वारा

अपीलार्थी को बैल्ट संख्या 115 आवंटित की गई। इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 में पदोन्नति प्रदान की गई। तदुपरान्त उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 20.07.2013 तक हनुमानगढ़ में अपनी सेवाएं दी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिला हनुमानगढ़ की समय–समय पर हैड कांस्टेबल के पद की वरिष्ठता सूची जारी की। दिनांक 26.06.2015 को दिनांक 01.04.2015 से हैड कांस्टेबल पद की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 46 पर अंकित था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक उप निरीक्षक के 17 पदों की पदोन्नति की जानकारी दी गई, जो हैड कांस्टेबल उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनको सूचना दिनांक 20.08.2015 तक देने बाबत् कहा गया, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव जो स्नातक उत्तीर्ण हों एवं गैर स्नातकों के लिए हैड कांस्टेबल के पद पर 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना प्रत्यर्थी विभाग को भेजी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ए.एस.आई. के पदों की रिक्तियों की सूचना भिन्न–भिन्न रेंजों में दी गई और संबंधित हैड कांस्टेबल ने योग्यात्मक परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उनके अनुभव पर विचार नहीं करते हुए उनके आवेदन को निरस्त कर दिया, जिससे संबंधित हैड कांस्टेबल अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुए और अधिकरण ने अंतरिम आदेश देते हुए प्रत्यर्थी विभाग को योग्यात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की और अधिकरण ने दिनांक 27.03.2015 को आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया कि यदि प्रार्थी योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण पाए गए तो उनकी पदोन्नति वर्ष से अनुभव की गणना करते हुए अग्रिम पद की पदोन्नति के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर न तो कोई विचार किया गया और ना ही उसे योग्यात्मक परीक्षा में बैठने दिया गया, जबकि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2007 में पदोन्नति हुई और उसे पदोन्नति वर्ष 2005–06 आवंटित किया गया था, जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ए.एस.आई. के पद की पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा आदेश दिनांक 24.08.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी को उसके अभ्यर्थिता को निरस्त किया गया है, को अमान्य मानते हुए अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को योग्य अभ्यर्थी की सूची में ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा के लिए उसका नाम जोड़े जाने का निर्देश दिया जावे तथा अपीलार्थी को अस्थाई रूप से उक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अपील में कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा अपीलार्थी नियम विरूद्ध यह मांग कर रहा है कि उसे सहायक उप निरीक्षक की वर्ष 2012–13 की परीक्षा में कंसीडर कर ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नत किया जाए। अपीलार्थी स्नातक नहीं है और पांच वर्ष का अनुभव हैड कांस्टेबल की नियमित नियुक्ति दिनांक से नहीं होने के कारण उसे सहायक उप निरीक्षक की परीक्षा वर्ष 2012–13 के लिए अपात्र माना है। अपीलार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना था। उसके छः माह बाद ही अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1989 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसे हैड कांस्टेबल के पद रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा पदोन्नत किया गया। मामले में वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक की योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाना था और इस प्रकार अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी न होने के कारण उसे पांच वर्ष का हैड कांस्टेबल पद का अनुभव आवश्यक था। इस अनुभव की गणना हमारे मत में उसकी हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.04.2005 से की जानी चाहिए थी क्योंकि अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है और हम प्रत्यर्थीगण के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि इस अनुभव की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस तिथि को वास्तव में अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। अतः हमारे मत में हैड कांस्टेबल के पद से ए.एस.आई. के पद की पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उसके अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2005 से की जानी चाहिए थी न की उस तिथि से जिस दिन उसे वास्तव में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का ए.एस.आई. पद की योग्यात्मक परीक्षा का परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है तो उसके परिणाम को कमेटी के सदस्यों के समक्ष खोला जाना चाहिए। यदि अपीलार्थी ए.एस.आई. के पद की योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति हेतु अग्रिम

कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध ए.एस.आई. पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव रखता था और इस कारण ए.एस.आई. पद पर योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने का पात्र था। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा में भाग लिया था, उसका परिणाम घोषित किया जावे एवं अपीलार्थी उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण पाया जाता है तो ए.एस.आई. के पद पर उसकी पदोन्नति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से चार माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य